



## जजों को हटाने की प्रक्रिया

[drishtiias.com/hindi/printpdf/removal-of-judges-from-office](http://drishtiias.com/hindi/printpdf/removal-of-judges-from-office)

## जजों को हटाने की प्रक्रिया

**संवैधानिक प्रावधान**

- साधित कदाचर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से
- संविधान में 'महाभियोग' शब्द का प्रयोग नहीं, किंतु बोलचाल में प्रयुक्त
- संवैच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये अनुच्छेद-124 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिये अनुच्छेद-218 के तहत
- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर गोप्यता के आदेश पर

**I**

- न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है।
- लोकसभा में न्यूनतम 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नॉटिस को अध्यक्ष को सौंपना या राज्यसभा में न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नॉटिस को सभापति को सौंपना।
- नॉटिस के संबंध में अध्यक्ष/सभापति सूचना की जाँच कर सकता है।
- जाँच के आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार किया जा सकता है।

**प्रक्रिया**

**III**

- जाँच के उपरांत समिति द्वारा अध्यक्ष/सभापति को रिपोर्ट सौंप दी जाती है।
- यदि रिपोर्ट में कदाचर या अक्षमता पाई जाती है तो हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और प्रस्ताव को विचार एवं चर्चा के लिये सदन के पटल पर रखा जाता है।

**IV**

- हटाने के प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिये।
  - ◆ सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और
  - ◆ सदन में उपरिथत तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से
- यदि प्रस्ताव को इस प्रकार के बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे दूसरे सदन के पास भेजा जाता है।
- दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव को गोप्यता के पास भेजा जाता है, जो न्यायाधीश को हटाने के लिये आदेश जारी करते हैं।

1/1